उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

14-7-22 आज पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित
पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित
निर्णय व पक्षकारों को पत्रावली उनको
नियत है 7-11-22 को पेश हो।

7.11.22 आज पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली में वादी वकील को तलवाना पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं किये। पत्रावली में आदेश 17 नियम 2 के तहत दिनांक 25-5-22 द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया। लेकिन मुकदमा की पैरवी अता वादी कोर्ट पक्षकार अनुपस्थित है। अतः हाजरी में [illegible] नियम 3 के अनुसार [illegible] पत्रावली के मुताबिक [illegible] पक्षकार [illegible] पाबिल खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 13:24:09 IST
Reason: SelfAttested